हिमाचल प्रदेश
लोक सेवा आयोग

संख्याः 09—04 / 2023—पीएससी (R–IV) दिनांकः 08.12.2023

प्रैस विज्ञप्ति

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परिचालक (Conductor) के रिक्त 360 पदों को भरने हेतु 10 दिसम्बर, 2023 को (11:00 बजे से 01:00 बजे तक) आयोजित की जा रही प्रतियोगी परीक्षा (Objective Type Written Test) में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अनुपालना हेतु, इस परीक्षा से सम्बधित दी गई हिदायतों को दोहराया जाता है।

1. सभी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के साथ दी गई हिदायतों (Candidate's Instructions) को ध्यान से पढ. लें तथा इनकी अनुपालना सुनिश्चित करें।
2. अपना रोल न0, फोटो, पहचान पत्र साथ लाना सुनिश्चित करें अन्यथा परीक्षा केन्द्र में बैठने की अनुमति नही दी जाएगी।
3. सभी अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र जो उनको आबंटित (Allot) किया गया है वहां समय पर पहुंचे। देर से पहुचनें वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हि0 प्र0 पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही special बसों की जानकारी परीक्षार्थी समय रहते स्वयं सम्बधित बस अड्डा प्रभारी (Bus Adda Incharge) से जुटा लें।
4. परीक्षा भवन में Mobile Phone, Blue Tooth या इस तरह की किसी भी इलैक्ट्रानिक उपकरणों को (Electronic Devices) ले जाना निषेध है। इस का उल्लधंन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
5. परीक्षा के आयोजन में लगाए गए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दी गई हिदायतों का अक्षरशः पालन करें।
6. OMR sheet पर अपना सही रोल न0, आवेदन पत्र संख्या व Booklet Series लिखें तथा सही बॉक्स को Blue/Black बॉल पैन से भरें। गलत सूचना भरने पर OMR Answer Sheet का मुल्याकंन नहीं किया जाएगा।
7. परिचालक (Conductor) की प्रतियोगी परीक्षा (Objective Type Written Test) की अवधि दो घटें की रहेगी। यह परीक्षा 100 अंको की ली जाएगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध करवा दिया गया है।
8. (i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए जिस का उत्तर उम्मीदवार द्वारा अगर गलत दिया जाता है तो एक चौथाई अंको (1/4 या 0.25) की कटौती दंड के रूप में की जाएगी। (ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से एक सही हो और उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार दंड दिया जाएगा।(iii) यदि कोई प्रश्न खाली छोडा जाता है यानी उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा। (iv) जहां एक प्रश्न के चार विकल्पों में से एक सही उत्तर के बजाय दो सही उत्तर होगें, उन सभी उम्मीदवारों को जो इन दोनों सही उत्तरों में से किसी एक को एन्कोड करेंगे, उन्हें उस प्रश्न के लिए आबंटित अंक प्रदान किये जायेंगे।
9. अभ्यर्थी किसी भी अनचाहे व्यवहार से बचे। कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उस के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
10. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परिचालक (Conductor) की प्रतियोगी परीक्षा (Objective Type Written Test) को हिमाचल प्रदेश Prevention of Malpractice Act, 1984 के दायरे में लाया गया है तथा उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध इस Act के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

हस्ता / —
(देवेन्द्र कुमार रत्न) भा0प्र0से0
सचिव,
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग।